

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
बीए नंबर 92 /2020

संदीप साव @संदीप सॉ@संदीप साव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

..... विपक्षी पार्टी

कोरम:माननीय जस्टिस श्री.रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए:श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता
विपक्षी पार्टी के लिए:श्री दीपक कुमार, एपीपी

2/17.01. 2020 पार्टियों को सुना।

याचिकाकर्ता नवलशाही पीएस केस नंबर 58/2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने मुखबिर के साथ एक अवैध संबंध विकसित किया था, जो एक विवाहित महिला है और जब ग्रामीणों को इस तरह के रिश्ते के बारे में पता चला, तो 20.08.2019 को ग्रामीण आए थे और उसके साथ मारपीट करने के बाद, उसके बाल काट दिए और उसे नंगा कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कई सह-आरोपी व्यक्तियों को इस अदालत ने 2019 के एबीए नं। 7984 और 2019 के 7927 में अग्रिम जमानत दे दी है। जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिकाकर्ता के साथ अवैध संबंध स्थापित करने में सूचक की ओर से सहमति का मामला है। याचिकाकर्ता 24.08.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संबंध में, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को 10,000/- (दस हजार) रुपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभु प्रस्तुत करने पर, विद्वान जे.एम. प्रथम श्रेणी, कोडरमा की संतुष्टि पर नवलशाही पीएस केस नंबर 58/2019 में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, जे)

आर. शेखर सीपी 3